न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS
अपील संख्या :- 43/2018

तुलसी देवी पुत्री रामकुरी बेवा मातादीन माली निवासी विराटनगर पत्नि श्री छाजूराम जाति सैनी निवासी विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान हाल आबाद मुण्डावरा तहसील थानागाजी, जिला अलवर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब विराटनगर।
2. सब रजिस्ट्रार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. कानाराम।
4. रामलाल।
5. लच्छूराम
6. प्रहलाद पुत्रान स्व. घीसी बेवा हीरालाल पुत्री रामकुरी बेवा मातादीन माली निवासी ढाणी रामसाला तन गढी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
7. छोटी देवी उर्फ टीया पुत्री स्व. रामकुरी बेवा मातादीन माली निवासी विराटनगर पत्नि बालूराम, जाति सैनी, निवासी ढाणी बनकी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
8. बंशीधर पुत्र स्व. सागरमल पुत्र ग्यारसा।
9. चौथमल पुत्र स्व. सागरमल पुत्र ग्यारसा।
10. तुलसी पुत्र स्व. सागरमल पुत्र ग्यारसा।
11. सीताराम पुत्र स्व. सागरमल पुत्र ग्यारसा।
12. केदार पुत्र स्व. सागरमल पुत्र ग्यारसा।

समस्त जातियान सैनी, निवासी विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 26.12.2007 बाबत आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14, वाके मौजा विराटनगर, द्वारा तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

निर्णय

दिनांक 22.10.19

उक्त नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 26.12.2007 बाबत आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14, वाके मौजा विराटनगर से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा विरूद्ध अपील पेश की है। जो कि निम्मन भांति पेश है।

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14, वाके मौजा विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के 1/3 भाग की रिकार्ड खातेदार काश्तकार वादिया की माता मरहूम रामकुरी बेवा मातादीन थी। जिसके कोई पुत्र संतान नही थी केवल तीन पुत्रियां थी जिसमे एक अपीलान्ट व रेस्पोडेंट टीया तथा एक अन्य पुत्री घीसी थी जो फोत हो गई जिसके वारिस रेस्पोडेंट 3 लगा. 6 है तथा घीसी टीया व तुलसी के अलावा मातादीन के अलावा कोई संतान नही थी। अपीलान्ट के पिता

Scanned by CamScanner

मातादीन की विरासत का नामान्तरण अपीलान्ट की माता रामकुरी के नाम दर्ज हुआ। रामकुरी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट संख्या 8 लगा. 12 जो सागर पुत्र ग्यारसा के वारिस है सागरमल ने गुप-चुप तरीके से रामकुरी की फौतगी का इन्तकाल 1303 घीसी टीया सागरमल ने अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि रामकुरी की फौतगी का इन्तकाल उनकी पुत्रियो घीसी, टीया और तुलसी के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु सागरमल ने अपने आप को मातादीन का पुत्र जाहिर करते हुए अपने हक मे घीसी टीया के ह कमे इन्तकाल संख्या 1303 दर्ज करवा लिया इसके बाद सागरमल ने कूटरचित हकत्याग पत्र दिनांक 19.09.2007 को घीसी टीया से अपने हक मे तस्दीक कराकर इन्तकाल नम्बर 1304 के द्वारा अपने नाम दर्ज करा ली। जिसका सागरमल को कोई अधिकार नही था। इन्तकाल नम्बर 1303 बिना बाजूताद पेश किया है जो निरस्तनीय है।

2. यह है कि तहसीलदार विराटनगर ने रामकुरी का विरासत का आलोच्य नामान्तरण तस्दीक करने के समय अपीलान्ट को नोटिस नही दिया, सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है जबकि अपीलान्ट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। तहसीलदार ने मनमाने ढंग से बिना जांच किये आलोच्य नामान्तरण आदेश पारित किये है। जो जैर अपील अपास्तनीय है।
3. यह है कि सागरमल अपीलान्ट का जायन्दा भाई नही है। सागरमल ने तथ्यों को छुपाकर अपने आप को मातादीन का फर्जी पुत्र बताकर जमीन हडपने की नियत से अपना नाम विरासत का इन्तकाल घीसी व टीया के साथ दर्ज करा लिया जिसका सागरमल को कोई अधिकार नही था इसके बाद घीसी टीया से हकत्याग अपने हक मे कराकर नामान्तरण संख्या 1304 तस्दीक करा लिया जो नल एण्ड वोईड शुन्य एवं बेअसर है। उक्त दोनो ही नामान्तरण व हक त्याग पत्र अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध नल एण्ड वाईड शुन्य एवं बेअसर है जिससे कोई राईट टाईटल हासिल नही होते है।
4. यह है कि रामकुरी की विरासत का इन्तकाल उसकी असल वारिस अपीलान्ट को नजरअंदाज कर फर्जी तरीके से पुत्र बनकर सागरमल ने इन्तकाल दर्ज कराया है जो अपने आप मे ही फर्जी जाली व कूटरचित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 26.12.07 बाबत नामान्तरण संख्या 1303 वाके मौजा विराटनगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्तनीय है।
6. यह है कि अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 26.12.07 के बाबत पूर्व मे कोई जानकारी नही थी। माह जुलाई मे अपीलान्ट के पुत्र राजस्व रिकार्ड की पडताल की तो पता चला कि उसकी माता का नाम रिकार्ड मे दर्ज नही है इसके बाद पुराना रिकार्ड इन्तकाल जमाबंदी की नकले निकलवाई तो पता चला कि सागरमल ने अपीलान्ट की बहिनो को मुगालता देकर उसके साथ रामकुरी की विरासत का नामान्तरण 1303 दर्ज करा लिया। बहिनो से हक त्याग कराकर अपने हक मे इन्तकाल संख्या 1304 दर्ज कराकर अपीलान्ट की माता के नाम 1/3 हिस्से की भूमि सम्पूर्ण अपने नाम करा ली इस बाबत अपीलान्ट ने सागरमल के वारिसान 8 लगा. 12 को बताया तो रेस्पोडेंट ने धमकी दी की तुम्हारा जमीन मे कोई लेना देना नही है। उनकी विरासत का इन्तकाल हमारे नाम तस्दीक कराकर जमीन का बेचान करेगे। इसलिए अपील पेश करनी आवश्यक हुई। अपील अन्दर मियाद पेश है तथा डिले कन्डोन कराने के लिए अलग से मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र दफा 5 अलग से सलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 26.12.2007 द्वारा तहसीलदार विराटनगर बाबत हाल खसरा नम्बर 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 वाके मौजा विराटनगर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया

Scanned by CamScanner

जावे तथा इन्तकाल के बाद दर्ज इन्तकाल 1304 को सागरमल के नाम बरूये हक त्यागपत्र दर्ज हुआ है उसे भी निरस्त फरमाया जावे।

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील प्रस्तुत की जाने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई, रिपोर्ट समात पाई जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट की तलवी हेतु सम्मन नोटिस नियमानुसार जारी किये। रेस्पोडेंट संख्या 8 लगा. 12 की ओर से भी आनन्द सिंह शेखावत एड. उपस्थित आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से श्री महेश कुमार जैन एड. ने वकालतनामा पेश किया जो सलग्न पत्रावली है।

8. यह है कि वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की तथा लिखित बहस मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र दफा 5 पेश किये तथा दस्तावेजात पेश किये जो सलग्न पत्रावली किये गये।

9. यह है कि रेस्पोडेंट वकील ने लिखित बहस का जबाव दिनांक 15.1019 को पेश किया तथा इसके सलग्न दस्तावेजो की सूची पेश की जो सलग्न पत्रावली किये गये।

10. बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 वाके मौजा विराटनगर जिला जयपुर के 1/3 भाग की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादिया की माता रामकुरी बेवा मातादीन थी जिसके कोई पुत्र संतान नही थी केवल तीन पुत्रियां थी जिसमे एक अपीलान्ट व एक रेस्पोडेंट टीया तथा एक अन्य पुत्री घीसी थी जो फौत होने के उपरान्त सागरमल ने गुपचुप तरीके से रामकुरी का फौतगी का इन्तकाल संख्या 1303 घीसी टीया सागरमल ने अपने नाम दर्ज कराकर तस्दीक करा लिया जबकि सागरमल ग्यारसा का पुत्र था। रामकुरी अपीलान्ट की माता की मृत्यु पश्चात फौतगी का इन्तकाल उनकी पुत्रियों तुलसी टीया तथा घीसी के नाम दर्ज तस्दीक होना चाहिए था परन्तु सागरमल ने फर्जी जाली कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर अपने आपको मातादीन का पुत्र जाहिर करते हुए अपने हक मे 1303 नामान्तरण तस्दीक करा लिया उसके बाद सागरमल ने घीसी टीया से हक त्याग कराकर इन्तकाल नम्बर 1304 के द्वारा जमीन अपने नाम दर्ज करा ली जिसका सागरमल को हक व अधिकार नही था। तहसीलदार विराटनगर ने बिना वारिसों की जांच किये आलोच्य नामान्तरण आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने लिखित बहस के साथ तुलसीदेवी ने अपना स्वयं का शपथपत्र पेश किया है जिसमे उसने शपथ बयान किया है कि उसके अलावा दो बहिने घीसी व टीया थी तथा कोई जायन्दा भाई नही था इसके अलावा अपीलान्ट तुलसी व उनकी दोनो बहिनो घीसी व टीया के भामाशाह कार्ड सलग्न किये है जो सन 2014 के बने हुए है। उक्त तीनो बहनो की माता का नाम रामकुरी व पिता का नाम मातादीन दर्ज है। इससे साफ जाहिर है कि तुलसी टीया ,घीसी सगी बहिने थी जिनकी माता रामकुरी थी और पिता मातादीन था। अतः लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण 1303 दिनांक 26.12.2007 द्वारा तहसीलदार विराटनगर बाबत हाल आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 वाके मौजा विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त फरमाया जावे तथा इन्तकाल के पश्चात दर्ज इन्तकाल नम्बर 1304 जो सागरमल के नाम हक त्याग पत्र से दर्ज हुआ है उसे भी निरस्त फरमावे।

11. रेस्पोडेंट वकील द्वारा प्रस्तुत जबाव के तथ्यों को बहस मे दोहराते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 वाके मौजा विराटनगर मे स्थित होना स्वीकार है। उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण 1303 घीसी टीया व रेस्पोडेंट संख्या 8 लगा. 12 के पिता सागरमल के हक मे खोला जाना एवं सागरमल के हक मे घीसी व टीया द्वारा हक त्याग करने से उसके हिस्से की

Scanned by CamScanner

आराजी भी सागरमल के हक मे दर्ज होने के तथ्य सही है। रेस्पोडेंट संख्या 8 लगा. 12 की जानकारी के अनुसार मातादीन पुत्र नानूराम के दो पुत्रिया घीसी व टीया ही थी कोई पुत्र सन्तान नही थी। जिससे मातादीन पुत्र नानूराम ने अपने सगे बडे भाई ग्यारसीलाल के दूसरे नम्बर के लडके सागरमल को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया था उस गोदनामा के आधार पर खोला गया विरासत का नामान्तरण किसी भी प्रकार से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो का उल्लघंन नही कर खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन मे दस्तावेजों की सूची के सलग्न दस्तावेजात पेश किये है आर.पी.टी. 2019(1) पी 648, आर.आर.टी 2019(1) पी 392

12. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 1303 बाबत आराजी खसरा नम्बर 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 वाके मौजा विराटनगर विरासत का नामान्तरण भरा जाकर दिनांक 26.12.2007 को तहसीलदार विराटनगर द्वारा स्वीकार होना पाया गया। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस मे कथन किया है कि उक्त विवादित खसरा नम्बरान के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट की माता रामकुरी बेवा मातादीन थी जिसके कोई पुत्र संतान नही थी केवल तीन पुत्रियां थी जिसमे एक अपीलान्ट व एक रेस्पोडेंट टीया तथा एक अन्य पुत्री घीसी थी जो फोत हो गई जिसके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 3 लगा. 6 है। अपीलान्ट की माता रामकुरी की मृत्यु होने के पश्चात तीनो बहिने घीसी, टीया तथा अपीलान्ट तुलसी के नाम विरासत का नामान्तरण खोला जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार विराटनगर ने केवल सागरमल जो मातादीन का जायन्दा पुत्र नही है उसके नाम तथा टीया घीसी के नाम नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 26.12.2007 को स्वीकार किया है जबकि अपीलान्ट अपना शपथ पत्र पेशकर बयान किया है कि उसके अलावा दो बहिने घीसी व टीया थी तथा कोई जायन्दा भाई नही था। अपीलान्ट तुलसी व उसकी दोनो बहिने घीसी व टीया के अपनी पुष्टि मे भामाशाह कार्ड सलग्न किये है जो वर्ष 2014 मे बने हुए है। इससे जाहिर है कि उक्त तीनो सगी बहिने थी जिनकी माता रामकुरी और पिता मातादीन था। रेस्पोडेंट सख्या 8 लगा. 12 के पिता सागरमल को उक्त नामान्तरण अपने नाम खुलवाने को हक व अधिकार नही था उसके बाद सागरमल ने घीसी टीया से हक त्याग कराकर इन्तकाल नम्बर 1304 के द्वारा भूमि अपने नाम कराली जिसका कोई हक अधिकार नही था तहसीलदार विराटनगर ने बिना वारिसों की जांच किये उक्त नामान्तरण आदेश पारित किये है जो अपास्त किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 8 लगा. 12 के वकील द्वारा बहस मे कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 8 लगायत 12 की जानकारी के अनुसार मातादीन पुत्र नानूराम के दो पुत्रियां घीसी व टीया ही थी कोई जायन्दा पुत्र सतान नही था जिससे मातादीन पुत्र नानूराम ने अपने सगे बडे भाई ग्यारसीलाल के दूसरे नम्बर के लडके सागरमल को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया था। सामाजिक रीति रिवाज व प्रथा के अनुसार गोद लेकर गोदनामा को उप पंजीयक शाहपुरा के यहा दिनांक 30.08.1950 को रजिस्टर्ड कराया था इस प्रकार मातादीन ने रेस्पोडेंट संख्या 8 लगायत 12 के पिता सागरमल को रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद लिया था। गोदनामा के आधार पर ही रामकुरी की मृत्यु पश्चात सागरमल के हक मे उक्त नामान्तरण खोला गया है। जो सही खोला गया है। इसके पश्चात सागरमल के हक मे उसकी बहिन घीसी व टीया द्वारा किया गया हक त्याग भी सही किया गया है। मातादीन जब फौत हुआ उसकी विरासत मे अपीलान्ट ने अपना नाम दर्ज क्यो नही कराया तथा क्यो उस नामान्तरण को चुनौति नही दी गई इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा

Scanned by CamScanner

खारिज फरमावे। चूंकि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं भामाशाह कार्ड के द्वारा पुष्टि की है कि मातादीन की तीन पुत्रियां अपीलान्ट तुलसी, टीया तथा घीसी थी इनके अलावा जायन्दा भाई नही था। वकील रेस्पोडेंट ने भी यह बात स्वीकार की है कि मातादीन के कोई जायन्दा पुत्र नही था। तहसीलदार विराटनगर ने बिना वारिसों की जांच किये उक्त नामान्तरण 1303 स्वीकार किया है वह न्यायोचित एवं विधिसम्मत नही है। जबकि उक्त नामान्तरण मे अपीलान्ट का भी नाम दर्ज करना चाहिए था। रेस्पोडेंट संख्या 8 लगायत 12 के पिता सागरमल को अपीलान्ट के पिता मातादीन ने दिनांक 30.08.1950 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गोद लिया था। गोदनामा के आधार पर उक्त नामान्तरण सागरमल ने अपने नाम तथा बहिने टीया तथा घीसी के नाम स्वीकार कराया है जबकि अपीलान्ट का भी उक्त नामान्तरण मे नाम अंकित कराना चाहिए था। इसके बाद सागरमल के हक मे टीया , घीसी द्वारा हक त्याग से नामान्तरण संख्या 1304 खुलवाया है। इस प्रकार अपीलान्ट तुलसीदेवी अपनी पिता की पैतृक सम्पति(भूमि) से वंचित रही है। इसलिए तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 1303 व 1304 स्वीकृत हुए है उक्त दोनो नामान्तरणों को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरण संख्या 1303 व 1304 वाके ग्राम विराटनगर जिला जयपुर को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते है कि मृतक रामकुरी बेवा मातादीन की आराजी खसरा नम्बरान 2763/0.03, 3202/0.30, 3205/0.14 हिस्सा 1/3 वाके मौजा विराटनगर जिला जयपुर मे से अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

14. यह निर्णय आज दिनांक 22.10.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner